रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3181] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940
No. 3181] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

का. आ. 3977 (अ).—भारत सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के अधीन भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया गया कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही उक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, जिसमें प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता वर्धन, इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार से या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: गठित राज्यस्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् हो, भारत में किसी भी भाग में किया जाएगा ;

उक्त मंत्रालय ने राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी (एसईआईएए) और जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को पर्यावरण अनापत्ति को प्रदान करने के संबंध में और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए अनुरोध को स्वीकार किया है ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) उपबंध करता है कि जहां केंद्रीय सरकार का विचार है कि किसी उद्योग या किसी प्रक्रिया को चलाने या प्रचालन करने पर किसी क्षेत्र के प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोप किया जाना चाहिए तो ऐसे करने के अपने आशय का नोटिस देगी ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3933(अ) तारीख 18 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18 दिसंबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक्त: विचार किया गया था ;

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मद 1(क), 1(ग) और लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति पर अपेक्षाओं का स्कीम संबंधी प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत परिशिष्ट-XI में समूह स्थिति भी है और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">परियोजना या कार्यकलाप</td><td colspan="2">प्रारंभिक सीमा सहित प्रवर्ग</td><td rowspan="2">शर्तें यदि कोई हों</td></tr>
<tr><td>क</td><td>ख</td></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">खनन, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण तथा विद्युत उत्पादन (विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)</td><td></td></tr>
<tr><td>(क)
(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1(क)</td><td>(i) खनिजों का खनन

(ii) पिच्छल पाइप लाईने (कोयला लिग्नाइट और अन्य अयस्क) जो राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों /कोरल रीफ, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों से गुजरती है</td><td>गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में > हे. खनन पट्टा क्षेत्र

कोयला खनन पट्टे के संबंध में > 150 हे. खनन पट्टा क्षेत्र

खनन क्षेत्र पर विचार किए बिना अज़बेस्टो का खनन क्षेत्र

सभी परियोजनाएं।</td><td>गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में < 100 हे. खनन पट्टा क्षेत्र

कोयला खनन पट्टे के संबंध में < 150 हे. खनन पट्टा क्षेत्र</td><td>सामान्य शर्तें लागू होंगी, सिवाय :

(i) प्रवर्ग 'ख2' लघु खनिजों के खनन (25 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र तक) के लिए परियोजना का कार्यकलाप ;

(ii) खनन पट्टा क्षेत्र के समूह की दशा में 'ख1' प्रवर्ग के लघु खनिज के खनन की परियोजना और क्रियाकलाप के लिए ; और

(iii) अंतरराज्यीय सीमा के कारण नदी तल खनन परियोजनाएं।

टिप्पण :

(1) खनिज के पूर्वेक्षण को छूट दी गई है।

(2) लघु खनिजों, जिनके अंतर्गत समूह अवस्थिति है, के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट XI में दी गई है ;</td></tr>
<tr><td>1(ग)</td><td>(i) नदी घाटी परियोजनाएं

(ii) सिंचाई परियोजना</td><td>(i) <50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन

(ii) >50,000 हे. खेती योग्य कमान क्षेत्र</td><td>(i) ≥25 मे.वा. और <50 मे.वा.जल विद्युत उत्पादन

(ii) >2000 हे और <50,000 हे.. खेती योग्य कमान क्षेत्र

सिंचाई प्रणाली | ईसी की अपेक्षा

(क) लघु सिंचाई प्रणाली (<2000 हे.) | छूट प्राप्त

(ख) मध्यम सिंचाई | ईएमपी और राज्य स्तरीय</td><td>साधारण शर्तें लागू होंगी

टिप्पण :

(i) एक से अधिक राज्य में आने वाली प्रवर्क 'ख' नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार स्तर पर किया जाएगा ;

(ii) किसी विद्यमान परियोजना द्वारा पर्यावरणीय लाभयुक्त सिंचाई प्रौद्योगिकी में परिवतर्न किया जाना (उदाहरणार्थ बाढ़ सिंचाई से ड्रिप सिंचाई) जिसके फलस्वरूप खेती योग्य कमान क्षेत्र में वृद्धि हो, किंतु बांध की ऊंचाई और जलमग्नता में वृद्धि न हो, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी।</td></tr>
</table>

			प्रणाली (>2000 <10,000 हे.)	(ख2 प्रर्वग) तैयार करना अपेक्षित।	
			(ग) महा सिंचाई प्रणाली (≥10000 से <50000 हे.)	इआईए/इएमपी और राज्य स्तरीय (ख1 प्रर्वग) तैयार करना अपेक्षित।	

लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति पर अपेक्षाओं का स्कीम संबंधी प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत परिशिष्ट-XI में समूह स्थिति भी है

पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर)	परियोजना का प्रवर्ग	ईआईए/ ईएमपी की अपेक्षा	लोक सुनवाई की अपेक्षा	ईसी की अपेक्षा	कौन ईआईए/ ईएमपी तैयार कर सकता है	ईसी के लिए कौन आवेदन करेगा	ईसी का मूल्यांकन/ स्वीकृति देने के लिए प्राधिकारी	ईसी की अनुपालना की मानीटरी करने के लिए प्राधिकारी
व्यष्टिक खनन पट्टे के आधार पर बालू खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए ईसी प्रस्ताव								
0-5 हे.	'ख2'	प्रारुप-1 एमपीएफआर,डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	डीईआईएए एसईआईएए एपीसीबी सीपीसीबी एमओईएफसीसी एमओईएफसीसी अभिकरण द्वारा नामनिर्देशिती
>5 हे. और <25 हे.	'ख2'	प्रारुप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईएमपी	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
>25 हे. और <100 हे.	'ख1'	प्रारुप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईआईए तथा ईएमपी	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
>100 हे.	'क'	प्रारुप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईआईए तथा ईएमपी	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ एमओईएफसीसी	
समूह स्थिति में बालू खनन और अन्य लघु खनिज के लिए ईसी प्रस्ताव								
5 हे. तक खनन पट्टे का समूह क्षेत्र	'ख2'	प्रारुप-1 एमपीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	डीईआईएए एसईआईएए एपीसीबी सीपीसीबी एमओईएफसीसी एंजेसी द्वारा नामनिर्देशिती
>5 हे. और <25 हे. के खनन पट्टे के समूह क्षेत्र, >5 हे. के बिना किसी व्यष्टिक पट्टे के	'ख2'	प्रारुप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टो के लिए एक ईएमपी	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	

खनन पट्टे के समूह क्षेत्र, >5 हे. के किसी व्यष्टिक पट्टे के साथ	ख 2	प्रारुप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टो के लिए एक ईएमपी	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
व्यष्टिक पट्टा आकार <100 हे. के साथ >25 के खनन पट्टों का समूह	'ख1'	प्रारुप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टो के लिए एक ईआईए/ईएमपी	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	सीईएसी/ एसईआईएए	
>100 हे. से किसी व्यष्टिक पट्टे के आकार का कोई समूह	'क'	प्रारुप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टो के लिए एक ईआईए/ईएमपी	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ एमओईएफसीसी	

[फा. सं. 19-2/2013-आईए.III (पार्ट. II)]

ज्ञानेश भारती , संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए :--

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014 ;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014 ;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;

21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015,
25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015,
26. का.आ. 141(अ) 15 जनवरी, 2016,
27. का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 ;
28. का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 ;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016;
30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का.आ. 4241(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2016; और
33. का.आ. 3611(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018 I

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2018

S.O. 3977(E).— Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing capacity addition with change in process or technology or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received requests, for delegation of more powers to State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) with respect to grant of Environment Clearances;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, vide number S.O.3933 (E) dated the 18th December 2017, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 18th December 2017;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:-

In the said Notification, in the SCHEDULE, for item 1(a), 1(c), and the Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Project or Activity</td><td colspan="3">Category with threshold limit</td><td rowspan="2">Conditions if any</td></tr>
<tr><td>A</td><td colspan="2">B</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td colspan="2">(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1 (a)</td><td>(i) Mining of minerals</td><td>> 100 ha. of mining lease area in respect of non-coal mine lease.

> 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease

Asbestos mining irrespective of mining area.</td><td colspan="2">≤ 100 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease.

≤ 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.</td><td>General Conditions shall apply except:
(i) for project or activity of mining of minor minerals of Category ‘B2’ (up to 25 ha of mining lease area);

(ii) for project or activity of mining of minor minerals of Category ‘B1’ in case of cluster of mining lease area; and

(iii) River bed mining projects on account of inter-state boundary.

Note:

(1) Mineral prospecting is exempted;

(2) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI;</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)Slurry pipelines (coal, lignite and other ores) passing through national parks / sanctuaries / coral reefs, ecologically sensitive areas.</td><td>All projects.</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>1(c)</td><td>(i) River Valley projects

(ii) Irrigation projects</td><td>(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation;

(ii) ≥ 50,000 ha. of culturable command area</td><td colspan="2">(i) ≥ 25 MW and < 50 MW hydroelectric power generation;

(ii) > 2000 ha. and < 50,000 ha. of culturable command area.</td><td>General Condition shall apply.

Note:-
(i) Category ‘B’ river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central Government Level.

(ii) Change in irrigation technology having environmental benefits (eg. From flood irrigation to Drip irrigation etc.) by an existing project, leading to increase in Culturable Command Area but without increase in dam height and submergence, will not require amendment/ revision of EC.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Irrigation system</td><td>Requirement of EC</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(a) Minor Irrigation system (≤ 2000 Ha)</td><td>Exempted</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(b) Medium irrigation system (> 2000 and < 10,000 ha.)</td><td>Required to prepare EMP and to be dealt at State Level (B_2 category).</td><td></td></tr>
</table>

			(c) Major irrigation system (≥10,000 to < 50,000 ha.)	Required to prepare EIA/EMP and to be dealt at State Level (B_1 category).	

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI:

Area of Lease (Hectare)	Category of Project	Requirement of EIA / EMP/ DSR	Requirement of Public Hearing	Requirement of EC	Who can prepare EIA/ EMP	Who will apply for EC	Authority to appraise/ grant EC	Authority to monitor EC compliance
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease								
0 – 5ha	'B2'	Form –1M, PFR, DSR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
> 5 ha and < 25 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EMP	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
≥ 25ha and ≤ 100ha	'B1'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EIA and EMP	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
> 100 ha	'A'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EIA and EMP	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation								
Cluster area of mine leases up to 5 ha	'B2'	Form –1M, PFR, DSR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with no individual lease > 5 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with any individual lease > 5 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	

Cluster of mine leases of area ≥ 25 hectares with individual lease size ≤ 100ha	'B1'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EIA/EMP forall leases in the Cluster	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease > 100ha	'A'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EIA/EMP for all leases in the Cluster	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	

[F. No. 19-2/2013-IA.III (Pt.II)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;

30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;

31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;

32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and

33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-11..64
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11..54.